डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.............प्रार्थी

बनाम

1—श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विनायक ट्रेडर्स मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक (राज0)। पिनकोड—304502 निवासी—ग्राम थडी पोस्ट आंटोली तह. मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304502

2—श्री मदन लाल शर्मा पुत्र बजरंग लाल शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक (राज0)। पिनकोड—304502 निवासी—नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड—304502

3—श्री लोकेश कुमार खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोड्क्टस खसरा नं0 7062 रूपाली भवन ढांग सराधना अजमेर राज0। पिनकोड—305001 निवासी—राजगढ रोड गग्रम पोस्ट सराधना जिला अजमेर राज0। पिनकोड—305001

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा 55 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:—निर्णय—: दिनांक 28.8.25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.08.2020 को समय दोपहर 12:39 पी.एम. पर मैसर्स विनायक ट्रेडर्स मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स विनायक ट्रेडर्स मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री प्रदीप कुमार जैन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में स्नैक्स, कन्फैक्शनरी खाद्य पदार्थ, नमकीन अलग—अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्रण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** दुकान की रैंक में रखा हुआ था। **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्रण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** 190-190 ग्राम के 39 नग मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर प्रतियों में विक्रेता श्री प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में रखे हुए 39 नग में से 190–190 ग्राम के **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्राण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** में से 190–190 ग्राम के 8 नग मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्राण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** 190–190 ग्राम के 8 नग मूल पैक के बराबर–बराबर (2–2 नग) अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्तें के डिब्बों में ज्यों का त्यों, नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियामनुसार लेबल तैयार कर, प्रत्येक भाग पर गोद से अच्छी तरह चिपकाया एवं प्रत्येक लबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2561 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2561 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता प्रदीप कुमार जैन पुत्र श्री कमलेश कुमार जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स विनायक ट्रेडर्स मोरला रोड लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक का एवं मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स सेठ सांवरिया फूड प्रोड्क्टस खसरा नं0 7662 रूपाली भवन ढांग सराधना अजमेर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3035 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./1142/एक्ट/2020/1213 दिनांक 21.08.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्राण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्रण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइण्ड पाम ऑयल दीप उत्सव ब्रण्ड (Refined palm Oil Deep Utsav Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार नष्ट किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक